

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

20/8/18
30/8
10/9

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० याद सख्या 194/2018

प्रथम पक्ष :- महादेव साई पिता स्व० राम साई सा०-कोलबेन्दी, थाना-पिण्डाजोरा,
जिला-बोकारो।

— बनाम —

द्वितीय पक्ष :- 1 करीम अन्सारी, 2 मईरुद्दीन अन्सारी, 3 सुलतान अन्सारी, सभी सा०
कोलबेन्दी, थाना- पिण्डाजोरा, जिला-बोकारो।

कार्यवाही

यास मु० थाना अग्रथानिकी संख्या--05/2018 जो पुलिस निरीक्षक, चास मु०
अंचल बोकारो के माध्यम से अग्रथारित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है, का अवलोकन
किया।

उपर्युक्त प्रतिवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच
जमीन को लेकर विवाद है जिससे अभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप
संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के
विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अनुरांसा की है ताकि शांति-व्यवस्था बनाया जा
सके।

राजस्व ग्राम का नाम	खाल संख्या	भूमि का विवरण खेतसरा संख्या	रकबा
कुसमा	114	25.06.07	92.01 एकड

गौहरी

उत्तर :- मनपूरण गोसाई क. जमीन
पूरब :- गौवर्धन चौधरी का जमीन,

दक्षिण :- रंजित सिंह का जमीन
पश्चिम :- मंगरु धोबी का जमीन

अतः सम्यक विचारोपान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपर्युक्त विवरण
की भूमि पर एतद द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही
दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 30.7.18
को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि
कोई हो तो अर्पित करें कि उपर्युक्त भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष
कर दिया गया।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

30/7/18 सूचना का तालिका प्राप्त।

द्वितीय पक्ष के दो सदस्यों का हस्ताक्षर है।
510 हेतु समय का आवेदन है।

दिनांक 20/8/18 को रखा

S.D.M
Chas

20/8/18 द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हजारी है।
S/C हेतु समय का आवेदन है।
दिनांक 30/8/18 को करने

उस कोट की
15/18 के अंतर पर
144 कोटों की वारंट
राजस्थान
गाम

30/8/18 द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हजारी है।
S/C हेतु समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष के अंतर से S/C हेतु समय का
आवेदन है।

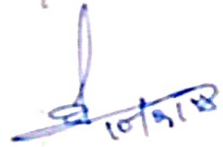
3:00 PM
CLUB

allowed. Put up on 10/9/18.



10/9/18 द्वितीय पक्ष के दो सदस्य का हजारी है।
S/C हेतु समय का आवेदन है।
प्रथम पक्ष की अंतर से S/C दाखिल
किया। द्वि पक्ष के एन-सं 2 का लिखित
वाच्य दाखिल किया गया।

Final order passed by me
on 10/9/18.


10/9/18